

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में दिनांक 20.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान में निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

### अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 309/19 धारा 377 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता सउद आलम पुत्र मंसूर अली निवासी कानपारा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 07-09-2019 को अभियुक्त द्वारा वादिनी के पुत्र उम्र लगभग 06 वर्ष के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया था जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 10-09-2019 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें थाना दुधारा पुलिस द्वारा आज दिनांक 20-09-2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 418/19 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता बलवन्त सैनी पुत्र सिद्धू प्रताप सैनी निवासी हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1625 से कालर ने जमीनी विवाद होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना को घटित होने से रोका गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**पीआरवी स्टाफ-** मुख्य आरक्षी विनोद गुप्ता, आरक्षी विशाल सिंह, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय।

### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार –

- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन सीज, 12 वाहन चालान व 44 वाहनो से  
31300 रू0 सम्मन शुल्क वसूल**

आज दिनांक 20-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन सीज, 12 वाहन चालान व 44 वाहनो से 31300 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही**

आज दिनांक 20-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 25 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 79 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।